बीकानेर के पीबीएम में कैंसर मरीज को गलत ब्लड चढ़ाया, तबीयत बिगड़ी

पीबीएम हॉस्पिटल के आचार्य तुलसी कैंसर विंग में मरीज भंवरी देवी को दूसरे ग्रुप का खून चढ़ाया

- जब भंवरी देवी को गलत ब्लड चढ़ाया जा रहा था, तभी वहां मौजूद एक परिजन की नजर ब्लड यूनिट पर लिखे ग्रुप पर पड़ी
- परिजन ने तुरंत नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को मौके पर बुलाया तुरंत इलाज शुरू किया गया, जिससे महिला की हालत संभल गई
- कैंसर विंग में भंवरी देवी नाम की दो महिला मरीज भर्ती थीं, जिनके पति के नाम अलग-अलग थे, दोनों मरीजों को खून चढ़ाया जाना था
- गलत खून चढ़ाने के मामले में राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट मांगने पर सरकार को रिपोर्ट भेजी गई

बीकानेर, (निसं)। पीबीएम हॉस्पिटल के आचार्य तुलसी कैंसर विंग में एक मरीज को गलत ब्लड चढ़ा दिया। यहां मरीज भंवरी देवी (75) को दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया, जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना के वक्त कैंसर विंग में एक डॉक्टर और दो नर्सिंग स्टाफ मौजूद थे। जब भंवरी देवी को गलत ब्लड चढ़ाया जा रहा था, तभी वहां मौजूद एक परिजन की नजर ब्लड यूनिट पर लिखे ग्रुप पर पड़ी। परिजन ने तुरंत नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को मौके पर बुलाया। तुरंत इलाज शुरू किया गया, जिससे महिला की हालत संभल गई।

परिजनों के अनुसार, भंवरी देवी को खून की कमी के चलते भर्ती किया गया था। उनका ब्लड ग्रुप ए प्लस है। पहले 'ए' पॉजिटिव ब्लड की एक यूनिट चढ़ाई गई। इसके बाद दूसरी यूनिट की जरूरत बताई गई। परिजन ब्लड बैंक से एक और यूनिट लेकर आए, लेकिन वहां से गलत ग्रुप (बी पॉजिटिव) का ब्लड दे दिया गया। कैंसर विंग के नर्सिंग स्टाफ ने बिना क्रॉस चेक किए वही ब्लड मरीज को चढ़ा दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई।

जानकारी के अनुसार कैंसर विंग में भंवरी देवी नाम की दो महिला मरीज भर्ती थीं, जिनके पति के नाम अलग-अलग थे। दोनों मरीजों को खून चढ़ाया जाना था। नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की पहचान करते समय पति का नाम और अन्य पहचान विवरण नहीं देखे। दूसरी भंवरी देवी के लिए मंगवाया गया ब्लड पहली भंवरी देवी को चढ़ा दिया। गलत ब्लड चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होते ही करीब 30 सेकेंड के भीतर मरीज की हालत बिगड़ने लगी। मरीज को घबराहट और बेचैनी होने लगी। तभी वहां मौजूद परिजन की नजर ब्लड यूनिट और मरीज के ब्लड ग्रुप पर पड़ी। परिजन ने तुरंत डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को मौके पर बुलाया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रुकवाया।

घटना की शिकायत सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा से की गई। कुछ ही देर में प्रिंसिपल खुद कैंसर विंग में पहुंच गए। कैंसर विंग के एचओडी डॉ. सुरेंद्र बेनीवाल भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही।

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही रात में मौके पर पहुंचे थे। पेशेंट की हालत फिलहाल बिल्कुल स्थिर है। उसका हीमोग्लोबिन 4.4 ग्राम प्रतिशत था, जिस कारण रात में उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कुछ समस्या सामने आई।

डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सभी विभागों के साथ बैठक कर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े सरकारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने वाले नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर या टेक्नीशियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विभागीय और प्रिंसिपल स्तर पर जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो तीन दिन में रिपोर्ट देगी। गलत खून चढ़ाने के मामले में राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट मांगी है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है।

इस घटना के बाद भाजयुमो शहर अध्यक्ष वेद व्यास अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई। उन्होंने पीबीएम अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। बाद में जब प्रिंसिपल मौके पर पहुंचे तो उनके सामने भी लापरवाही को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई।

गुरुवार सुबह भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया और भाजयुमो शहर अध्यक्ष वेद व्यास मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा के कार्यालय पहुंचे और घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया। नेताओं ने आरोप लगाया कि अस्पताल में सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों से बाहर से इंजेक्शन, ग्लुकोज और कैनुला तक मंगवाए जा रहे हैं।

सांवलियाजी सेठ के भंडार से 12.10 करोड़ रुपये निकले

भंडार गिनती में मंदिर बोर्ड अध्यक्ष वैष्णव एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

- भंडार से बची राशि की गणना एवं भंडार से निकले सोने-चांदी का तोल होना बाकी

मंडफिया, (निसं)। मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थस्थल भगवान श्री सांवलियाजी सेठ मंडफिया के दरबार का विशाल भंडार गुरूवार चतुर्दशी को मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव व अतिरिक्त जिला कलैक्टर एवं मंदिर की मुख्य निष्पादन अधिकारी प्रभा गौतम की उपस्थिति में खोला गया।

मंदिर बोर्ड अध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि चतुर्दशी को खोले गए भंडार से 12 करोड 10 लाख रुपए नगद प्राप्त हुए। उन्होंने ने बताया कि भंडार से बची राशि की गणना एवं भंडार से निकले सोने-चांदी का तोल होना बाकी है। मंदिर कार्यालय में विभिन्न भक्तों द्वारा भेंट किए गए सोने-चांदी का तोल एवं भक्तों द्वारा भेंट रुपयों की गिनती होना भी शेष है। इस मौके पर मंदिर मंडल की ओर से यात्रियों की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई। भंडार गिनती में मंदिर बोर्ड सदस्य पवन तिवारी, रामलाल गुर्जर, हरिराम गाडरी, किशनलाल अहीर, लेखाधिकारी राजेंद्र सिंह, मंदिर प्रभारी भेरू गिरी गोस्वामी, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह राजपूत सहित मंदिर के चुनिंदा कर्मचारी एवं बैंकों के कर्मचारी उपस्थित थे।

दुकान का शटर काट 17 लाख की ज्वैलरी ले गए चोर

- पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली

अलवर, (निसं)। अलवर शहर के एनईबी थाना इलाके में 60 फीट रोड के पास रामनगर कॉलोनी कट पर स्थित कृतिका ज्वैलर्स पर अज्ञात चोरों ने रात के सन्नाटे में सेंध लगाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान का शटर काटकर अंदर घुसकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। सुबह के समय पड़ोसी दुकानदार की नजर टूटी हुई शटर पर पड़ी, तो उन्होंने फौरन दुकान मालिक को खबर दी और पुलिस को सूचित किया। एनईबी थाने के एसएचओ दिनेश चंद मीणा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की।

प्रारंभिक जांच में दुकान मालिक ने बताया कि चोर करीब 70 ग्राम सोना और लगभग 4.5 किलो चांदी चोरी कर ले गए। चोरी गए माल की अनुमानित कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद से ज्वैलर्स सदमे में है।

कृतिका ज्वैलर्स के मालिक बंटी ने बताया कि वह बुधवार शाम दुकान बंद कर सूर्य नगर स्थित अपने घर चले गए थे। सुबह पड़ोसी दुकानदार के जरिए चोरी की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी कैमरे में चोरों की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अज्ञात चोरों की तलाश जारी है।

अलवर में पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे ने कांग्रेस नेता को लाठी-डंडों से पीटा

- यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव संदीप ओला को हमलावर बेहोशी की हालत में छोड़ फरार हो गए
- मौके से गुजर रहे कार ड्राइवर ने संदीप को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्रॉमा वार्ड में संदीप का इलाज जारी है
- बताया जा रहा है कि संदीप और सुरेंद्र के बीच पिछले कई दिनों से आपसी रंजिश चल रही थी

अलवर, (निसं)। अलवर में कांग्रेस नेता पर पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव संदीप ओला (32) को पूर्व मंत्री के बेटे सुरेंद्र भड़ाना (30) ने फोन कर बुलाया, फिर करीब 20 युवकों के साथ मिलकर संदीप को लाठी-डंडों से जमकर पीटा। मामला शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में हसन खां पेट्रोल पंप के पास दोपहर करीब 12-30 बजे का है। हमलावर संदीप को बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहां से गुजर रहे कार ड्राइवर ने संदीप को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्रॉमा वार्ड में संदीप का इलाज जारी है। संदीप के नाक, मुंह और पैर में चोटें आई हैं।

शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बताया कि कांग्रेस नेता संदीप ओला के साथ मारपीट हुई है। इसमें मारपीट की धाराओं में शिकायत दर्ज करवाई है। मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। घायल संदीप ओला ने बताया कि मैं गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे अपने कमरे पर था। इसी दौरान सुरेंद्र भड़ाना का फोन आया। उसने मुझसे शराब पीने के लिए 2 हजार रुपए मांगे। मना करने पर सुरेंद्र ने अपने दोस्त सचिन गुर्जर से फोन करवाया। मकान किराए पर लेने की बात कहकर मुझे हसन खां पेट्रोल पंप के पास बुलाया। संदीप ने बताया कि मैं वहां पहुंचा तो सुरेंद्र करीब 20 साथियों के साथ मौजूद था। सुरेंद्र ने दोबारा पैसे मांगे। मेरे मना करने पर मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई की। एक युवक के हाथ में लोहे का नुकीला हथियार था, जिससे मुझ पर हमला किया गया। घटना के दौरान आसपास के मोहल्ले के लोग इकठ्ठा होने लगे, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

संदीप ओला 8 साल से छात्र राजनीति में है। उसे जून 2025 में यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव बनाया गया। वहीं आरोपी सुरेंद्र भड़ाना पूर्व खाद एवं आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना का बेटा है। हेमसिंह 2008 से 2018 तक थानागाजी से बीजेपी विधायक रहे हैं।

संदीप ओला अलवर के जसवंत नगर में किराए के मकान में रहता है। सुरेंद्र भड़ाना शिवाजी पार्क के पास सांप जोहड़ा पर रहता है। बताया जा रहा है कि संदीप और सुरेंद्र के बीच पिछले कई दिनों से आपसी रंजिश चल रही थी।

यूआईटी लॉटरी मामले में एईएन को एपीओ किया

भीलवाड़ा, (निसं)। यूआईटी लॉटरी मामले में विवादों में घिरे यूआईटी के सहायक अभियंता (एईएन) रविश श्रीवास्तव को एपीओ कर दिया गया, हालांकि इसके पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। वहीं लॉटरी के खिलाफ गठित संघर्ष समिति ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है।

नगरीय विकास विभाग के सरकारी आदेश के अनुसार, भीलवाड़ा में तैनात सहायक अभियंता रविश श्रीवास्तव का तुरंत प्रभाव से एपीओ कर दिया गया है। प्रशासनिक कारणों से उन्हें अभी कोई नई जिम्मेदारी (पोस्टिंग) नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें जयपुर सचिवालय (हेडक्वार्टर) भेज दिया गया है। जब तक अगला आदेश नहीं आता, उन्हें जयपुर के नगर विकास विभाग में अपनी हाजिरी देनी होगी। श्रीवास्तव यूआईटी की ऑन लाइन लॉटरी में मुख्य सूत्रधार थे और उन्हीं के द्वारा इस लॉटरी को संपादित करवाया गया था। लॉटरी में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विगत 2 महीनों से भीलवाड़ा बचाओ संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। भीलवाड़ा की जनता के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद यूआईटी के अधिकारियों ने भी ऑनलाइन प्रक्रिया में टेक्निकल एरर की बात को स्वीकार किया था। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस मामले में जांच ओर दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन सख्त एक्शन नहीं हो पाया। इस संबंध में सरकार के दो साल के जश्न को लेकर भीलवाड़ा आए डिप्टी सीएम और जिले के प्रभारी प्रेमचंद बैरवा के समक्ष संघर्ष समिति के संयोजक विजयपाल सिंह ने दस्तावेजों के साथ कार्यवाही की मांग उठाई, उसके बाद विवादों में घिरे यूआईटी एईएन रविश श्रीवास्तव को एपीओ कर दिया गया।

अलवर में नौ साल की बच्ची की हत्या

- मर्डर का शक पिता पर ही जताया, पुलिस पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की, बच्ची का शव झाड़ियों में मिला था

अलवर, (निसं)। अलवर में नौ साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। मर्डर का शक पिता पर ही जताया जा रहा है। पुलिस बच्ची के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र का गुरुवार सुबह आठ बजे का है।

एएसपी शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि 9 साल की बच्ची का शव झाड़ियों में मिला था। बच्ची गुरुवार सुबह 8 बजे घर से बकरियां छोडऩे के लिए जंगल में गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। बच्ची के शरीर पर खरोंच के निशान भी हैं।एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। बच्ची के ताऊ और ममेरे भाई ने अलग-अलग शिकायत दी है। ममेरे भाई ने बच्ची के पिता पर ही हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ताऊ ने हत्या की आशंका जताई है।

बच्ची के ताऊ ने बताया कि जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की। अक्सर बच्ची बकरियां छोड़ने के बाद कुछ ही देर में घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज नहीं आई तो उसकी तलाश की। इसी दौरान झाड़ियों में शव पड़े होने की सूचना मिली। बच्ची चार बहन-भाइयों में तीसरे नंबर की थी।

प्रारंभिक जांच में बच्ची के गले और शरीर पर खरोंच के निशान मिले हैं, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के समय बच्ची की मां पीहर गई हुई थी। पुलिस अफसरों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डीडवाना में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में युवक गिरफ्तार

- आरोपी ने 15 से अधिक लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया, लोगों को उकसाकर व दबाव डालकर धर्म परिवर्तन का आरोप

आरोपी लालचंद डेविड

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना में लोगों को उकसाकर और दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करवाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में डीडवाना पुलिस ने लालचंद डेविड नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने 15 से 20 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और खासतौर पर गरीब, पिछड़े व कम शिक्षित वर्ग के लोगों को निशाना बनाया।

मामले को लेकर पुलिस उप अधीक्षक जेठू सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि डीडवाना निवासी राहुल द्वारा डीडवाना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें लालचंद डेविड पर लोगों को बहला-फुसलाकर और मानसिक दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपों की पुष्टि होती चली गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लालचंद डेविड मूल रूप से हिंदू था। करीब आठ वर्ष पहले उसकी माता के बीमार होने के दौरान वह ईसाई पादरियों के संपर्क में आया। उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की और उसकी माता के स्वस्थ होने के बाद इसे चमत्कार मानते हुए उसने ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद से वह ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार में सक्रिय हो गया।

जांच में यह भी सामने आया कि हाल ही में लालचंद डेविड डीडवाना पहुंचा, जहां उसने वाल्मीकि समाज सहित अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को अपने झांसे में लेना शुरू किया। वह लोगों पर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा नहीं करने का दबाव बनाता था और प्रभु यीशु की पूजा करने के लिए प्रेरित करता था। उसके प्रभाव में आकर कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जबकि कई अन्य लोग धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में थे। पुलिस जांच के दौरान एक युवती का मामला भी सामने आया, जिसने आरोपी के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन किया और अपनी शादी के कार्ड में ईसाई धर्म के प्रतीक व प्रभु यीशु की शिक्षाओं को भी छपवाया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे-वैसे धर्म परिवर्तन से जुड़े और भी मामले उजागर होते चले गए। इन तथ्यों के सामने आने के बाद पुलिस ने लालचंद डेविड को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से सघन पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अब तक उसने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है, वह किसी मिशनरी ग्रुप से जुड़ा है या नहीं, और उसे फंडिंग कहां से तथा किन ईसाई मिशनरियों से मिल रही थी।

डीडवाना पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

20 को सीएम के मांडलगढ़ दौरे की तैयारियां तेज

- जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू व विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल ने कार्यक्रम स्थल सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया

भीलवाड़ा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 20 दिसंबर को प्रस्तावित मांडलगढ़ दौरे को लेकर प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधियों के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू द्वारा कार्यक्रम स्थल सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मांडलगढ़ विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल भी साथ मौजूद रहे और तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलैक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

विधायक खंडेलवाल ने जनसभा में अधिक से अधिक आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपस्थित जनप्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसहभागिता महत्वपूर्ण है और इसके लिए व्यापक स्तर पर समन्वय किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला कलैक्टर ने मंच, बैठक व्यवस्था, यातायात, पार्किंग, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मनमोहन शर्मा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण जैन सहित संबंधित विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

15 साल पुराने हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

- पीपाड़ शहर थाना क्षेत्र के खांगटा गांव में पालड़ी चौराहे पर शराब के पैसे को लेकर हुए विवाद में दिनेश की चाकू और कांच की टूटी बोतलों से हमला कर हत्या कर दी गई थी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा शर्मा ने 15 साल पुराने हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी भागीरथ, किशोर उर्फ किशोरसिंह और रामप्रकाश उर्फ गुट्टा को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1.56 लाख जुर्माने की सजा दी है।

मामला करीब पंद्रह साल पुराना है। 28 फरवरी 2010 को होली के दिन जोधपुर के पीपाड़ शहर थाना क्षेत्र के खांगटा गांव में पालड़ी चौराहे पर शराब के पैसे को लेकर हुए विवाद में दिनेश की चाकू और कांच की टूटी बोतलों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मयंक रांकावत ने पक्ष रखा।

परिवादी कानाराम ने पीपाड़ शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी 2010 की शाम करीब 7:45 बजे ग्राम खांगटा के पालड़ी चौराहे पर स्थित शराब की दुकान पर राजूराम पुत्र केसाराम सेल्समैन था। उस समय दिनेश, रामकरण, सांवरराम आदि खड़े थे, तभी पूर्व नियोजित तैयारी के साथ एकराय होकर एक बोलेरो जीप में सवार होकर आए 8-9 लोग दुकान पर आए। इनमें से रामनिवास मुंडेल, माधुराम, रामप्रकाश, किशोर, भागीरथ और इनके साथ 3-4 अन्य व्यक्तियों ने दुकान पर आकर शराब मांगी। शराब के पैसे मांगने पर उन लोगों ने यह कहकर मना कर दिया कि वे पैसे नहीं देंगे। वे जबरदस्ती शराब की बोतलें उठाकर दुकान के भीतर घुसकर गल्ले से जबरदस्ती 3500 रुपए छीनकर बोलेरो में चले गए।

इसके बाद राजूराम दुकान बंद करके दिनेश, रामकरण, सांवरराम के साथ घर जाने के लिए रवाना हुआ। जैसे ही वे पालड़ी चौराहे पर आए तभी रामनिवास व उसके साथी बोलेरो लेकर आड़े फिरे और नीचे उतरकर चारों पर जानलेवा हमला कर दिया। रामनिवास व माधुराम के पास चाकू, रामप्रकाश के पास गुप्ती व भागीरथ के पास चाकू व टूटी हुई बोतल थी। इन लोगों द्वारा किए गए इस हमले से दिनेश के शरीर पर जगह-जगह चाकुओं से गोद दिया। रामकरण के पेट व शरीर पर बोतल व चाकू से जगह-जगह चोटें आईं। राजू उर्फ राजेंद्र के शरीर को जगह-जगह चाकूओं से छलनी कर दिया। सांवरराम के हिचकी पर चाकू की चोट आई। इस हमले से दिनेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा शेष सभी गंभीर घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद पांच आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इनमें मुख्य आरोपी तीनों भाई (भागीरथ, किशोर उर्फ किशोरसिंह और रामप्रकाश उर्फ गुट्टा) के अलावा उनके पिता माधुराम और एक अन्य साथी रामनिवास भी नामजद थे। ट्रायल के दौरान माधुराम और रामनिवास की मौत हो गई। इसी कारण उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई।

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 24 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि आरोपियों ने मिलकर दिनेश, राजूराम, रामकरण व सांवरराम की हत्या करने के इरादे से धारदार हथियार, चाकू व कांच की टूटी हुई बोतलों से हमला किया।

कोर्ट ने कहा कि प्रकरण के सभी तथ्यों व परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपितगण को दोषसिद्ध कर दंडित किया जाना न्यायोचित है। इसके लिए तीनों दोषियों को धारा 302/34 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माना, धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 325 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास और 3-3 हजार रुपए जुर्माना, धारा 324 के लिए 3 वर्ष कठोर कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माना और धारा 323 के तहत 1 वर्ष कठोर कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया जाता है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

बीस हजार की रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार

- मामले में पुलिस उप निरीक्षक फरार, एसीबी की टीम तलाश कर रही है

जयपुर, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की (विशेष इकाई) जोधपुर टीम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना राजीव गांधी नगर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कांस्टेबल भविष्य कुमार को बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में पुलिस उप निरीक्षक फरार हो गया है। जिसे एसीबी की टीम तलाश कर रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की (विशेष इकाई) जोधपुर को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके गांव चौखा में एक कब्जाशुदा किराये के मकान में रहता है। मकान को लेकर मकान मालिक भभुताराम एवं सागर गहलोत के बीच विवाद चल रहा है। जिसके चलते सागर गहलोत ने भभुताराम व परिवादी के पुत्र के खिलाफ पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में मामला दर्ज करवाया है। जहां जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक प्रेमनाथ व कांस्टेबल भविष्य कुमार द्वारा परिवादी को पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में बुला कर सागर गहलोत को धमकाने का आरोप लगाकर मुकदमे में परिवादी का भी नाम डालकर उसको फंसाने एवं गिरफ्तार करने की धमकी देकर मुकदमे से नाम हटाने की एवज में तीस हजार रुपये की रिश्वत की मांग रहे हैं, जिस पर एसीबी जोधुपर (एसयू) टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में ट्रेप कार्रवाई करते हुए पुलिस कांस्टेबल को भविष्य कुमार को पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के सामने परिवादी की गाड़ी में बैठकर बीस हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है और वहीं पुलिस उप निरीक्षक प्रेमनाथ एसीबी कार्यवाही की भनक लगने से मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत

जैसलमेर, (निसं)। जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के सुथार मंडी रोड पर गुरुवार को एक सड़क हादसा हो गया। कृषि उपज मंडी के पास एक तेज रफ्तार निजी बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक को करीब 50 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गई। इस भयावह मंजर में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर व कंडक्टर मौके से बस को छोड़कर फरार हो गए। मोहनगढ़ पुलिस ने अनिल विश्नोई के शव को हॉस्पिटल भिजवाया और बस को जब्त कर ड्राइवर कंडक्टर की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, बस मोहनगढ़ से अनूपगढ़ की ओर जा रही थी। इसी दौरान सुथार मंडी रोड पर सामने से आ रही बाइक को बस ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान अनिल कुमार विश्नोई (30 वर्ष) पुत्र राकेश कुमार विश्नोई, निवासी ग्राम पंचायत जवाहरनगर, पुलिस थाना पीटीएम के रूप में हुई है।